न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 826/2019

1 गगनदीप सिंह पुत्र स्व. मलकीत सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जट सिख निवासी बुधसिंहवाला नाबालिग जरिये कुदरती वली माता वीरपाल कौर पत्नी मलकीत सिंह जाति जट सिख निवासी बुधसिंहवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 अर्षदीप सिंह पुत्र गुरमीत सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जट सिख निवासी बुधसिंहवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादीगण

बनाम

1 गुरचरण सिंह पुत्र पाला सिंह जाति जट सिख निवासी बुधसिंहवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 गुरमीत सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जट सिख निवासी बुधसिंहवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री रामकुमार सिहाग, राकेश कुमार सिहाग अधिवक्ता (वादीगण)

2 श्री रजनीकान्त अधिवक्ता (प्रतिवादी संख्या 1 व 2)

3 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय दिनांक :– 03/12/19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत 88,53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक 27 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 13/20 प.न. 82/157 मु.न. 25 कि.न. 1 ता 20 में 5.060 है.नहरी मय मै.मु. रासता, खाला आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कागजात माल है। चक 22 पी टी पी 'बी' जमाबदी समवत 2069–2072 खाता संख्या 24/27 प.न. 92/159 मु.न. 69 कि.न. 12/1 में 0.190 है. नहरी कुल 0.190 है.नहरी आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कागजात माल है। चक 22 पी टी पी 'बी' जमाबदी समवत 2069–2072 खाता संख्या 25/30 प.न. 92/159 मु.न. 69 कि.न. 1 ता 10, 12/2, 13 ता 16, 20 ता 25 में 4.542 है. नहरी कुल खाता 4.542 है. नहरी आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 2.923 है. आराजी दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबदी संलग्न वाद पत्र है।वादीगण एव प्रतिवादीगण संयुक्त परिवार के सदस्य है एव वादाधीन आराजी संयुक्त परिवार की सम्पति है जो कि वादीगण प्रतिवादीगण के विधिक वारिसान है, वादीगण एव प्रतिवादीगण हिन्दू विधि के मिताक्षरा स्कूल से शासित है जहां प्रतयेक सन्तान का सहदायिकी सम्पति में जन्म से ही कानूनन हक व हिस्सा बनता है, प्रतिवादीसंख्या 1 के नाम वादाधीन आराजी के अलावा पंजाब राज्य में भी आराजी है एव अन्य सम्पति है जो कि वादी संख्या 1 के पिता का देहान्त हो चूका है एव वादीगण एव प्रतिवादीगण के मध्य वादाधीन आराजी का पारिवारिक बंटवारा हो चूका है जो चूंकि प्रतिवादीसंख्या1 की आयू अधिक हो चूकी है एव प्रतिवादी संख्या 1 चलने फिरने में सक्षम नही है और ना ही आराजी को काश्त कर सकते है वादीगण ही प्रतिवादी संख्या 1 की सार सम्भाल करते है एव मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार वादीगण ही वादाधीन आराजी को काश्त करते आ रहे है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

वादीगण के हक हिस्सा एव कब्जा काश्त की मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार प्राप्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड मे वादीगण के नाम से दर्ज रिकॉर्ड नही होने के कारण वादीगण को पानी की बारी रकम अदायगी बैंक ऋण व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एव आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम से दर्ज नही होने के कारण वादीगणको प्रतिवादीगण के द्वारा बेदखल किये जाने का अंदेशा सदैव लगा रहता है जिस कारण वादीगण अपने हक हिस्सा एव कब्जा काश्त आराजी को मन लगाकर काश्त कर पानें मे असमर्थ है इसलिए वादीगण अपने हक हिससा एव कब्जा काश्त आराजी की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के कानूनन हक अधिकारी है। वगैरा।

लिहाजा वाद वादीगण मय शपथ पत्र दो प्रतियों मे पेश कर निवेदन है कि :– वादी संख्या 1 गगनदीप सिंह को चक 27 पी टी पी खाता संख्या 13/20 प.न. 82/157 मु.न 25 कि.न. 1 ता 4 प्रतयेक में 0.228 है.नहरी, 0.025 है. खाला, कि.न. 5 में 0.190 है. नहरी, 0.025 है. खाला, 0.038है. गे.मु. रास्ता, कि.न. 6 में 0.215 है.नहरी, 0.038 है. गै.मु. रासता, कि.न. 7, 8, 9, 10 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 2.530है. नहरी मय गे.मु. रासता, खाला आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । वादी संख्या 2 अर्षदीपसिह को चक 27 पी टी पी खाता संख्या 13/20 प.न. 82/157 मु.न. 25 कि.न. 11 ता 14 प्रत्येक में 0.253 है.नहरी, कि.न. 15, 16 प्रत्येक में 0.215 है. नहरी, 0.038 है. गै.मु. रासता, कि.न. 17 ता 20 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 2.530 है. नहरी मय गै.मु. रासता आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 22 पी टी पी 'बी' खाता संख्या 24/27 प.न. 92/159 मु.न. 69 कि.न. 12/1 में 0.190 है. नहरी कुल 0.190 है. नहरी आराजी में वादी संख्या 1 व 2को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व चक 22 पी टी पी 'बी' खाता संख्या 25/30 प.न. 92/159 मु.न. 69 कि.न. 1 ता 10, 12/2, 13 ता 16, 20 ता25 में 4.542 है. नहरी कुल खाता 4.542 है. नहरी आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2.923 है. आराजी में वादीगण संख्या 1 व 2 को ब. हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जरिये वकील उपस्थित होकर इकबाल दावा पेश कर वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जवाब स्टेट पेश हुआ , राज्यहित को ध्यान में रखते हुये वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण ने मुताबिक पारिवारिक बंटवारा वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने वादीगण के कथनों में अपनी सहमति प्रकट की, एव वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया . पत्रावली का अवलोकन किया गया, वादीगण एव प्रतिवादीगण के मध्य परिवारिक बंटवारा हुआ है एंव वादीगण एव प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है एवं मुताबिक पारिवारिक बंटवारा वादीगण एव प्रतिवादी ने एक दूसरे की कब्जा काश्त को स्वीकार किया है, वादाधीन आराजी संयुक्त परिवार की सम्पति है, एव वादीगण द्वारा सहदायिकी सम्पति में घोषणा की मांग की है ,एव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादीगण की कब्जा काश्त के समबध में कोई विरोध नही किया है, वादीगण के द्वारा चाही गयी आराजी का खाता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से अलग कायम है।

Scanned by CamScanner

इस प्रकार वादीगण ने अपने दावा को दस्तावेजी साक्ष्यों, ईकबाल कथनों व बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है एवं वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :– (क) चक 27 पी टी पी खाता संख्या 13/20 प.न. 82/157 मु.न 25 कि.न. 1 ता 4 प्रतयेक में 0.228 है.नहरी, 0.025 है. खाला, कि.न. 5 में 0.190 है. नहरी, 0.025 है. खाला, 0.038है. गे.मु. रास्ता, कि.न. 6 में 0.215 है.नहरी, 0.038 है. गै.मु. रासता, कि.न. 7, 8, 9, 10 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 2.530है. नहरी मय गे.मु. रासता, खाला आराजी का वादी संख्या 1 गगनदीप सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। (ख) चक 27 पी टी पी खाता संख्या 13/20 प.न. 82/157 मु.न. 25 कि.न. 11 ता 14 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी, कि.न. 15, 16 प्रत्येक में 0.215 है. नहरी, 0.038 है. गै.मु. रासता, कि.न. 17 ता 20 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 2.530 है. नहरी मय गै.मु. रासता आराजी का वादी संख्या 2 अर्षदीपसिह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। (ग)प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 22 पी टी पी 'बी' खाता संख्या 24/27 प.न. 92/159 मु. न. 69 कि.न. 12/1 में 0.190 है. नहरी कुल 0.190 है. नहरी आराजी में वादी संख्या 1 व 2 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। (घ) चक 22 पी टी पी 'बी' खाता संख्या 25/30 प.न. 92/159 मु.न. 69 कि.न. 1 ता 10, 12/2, 13 ता 16, 20 ता25 में 4.542 है. नहरी कुल खाता 4.542 है. नहरी आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2.923 है. आराजी में वादीगण संख्या 1 व 2 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एव उक्त खातों से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादीगण का खाता अलग कायम किया जाकर वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3/12/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/12/19

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

1

2

Scanned by CamScanner

संख्याक–01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 826/2019

1 गगनदीप सिंह पुत्र स्व. मलकीत सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जट सिख निवासी बुधसिंहवाला नाबालिग जरिये कुदरती वली माता वीरपाल कौर पत्नी मलकीत सिंह जाति जट सिख निवासी बुधसिंहवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 अर्षदीप सिंह पुत्र गुरमीत सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जट सिख निवासी बुधसिंहवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादीगण

बनाम

1 गुरचरण सिंह पुत्र पाला सिंह जाति जट सिख निवासी बुधसिंहवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 गुरमीत सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जट सिख निवासी बुधसिंहवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री रामकुमार सिहाग,राकेश कुमार सिहाग वकील वादीगण मिन जामिन मुद्दई श्री रजनीकान्त वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुद्दायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि:– (क) चक 27 पी टी पी खाता संख्या 13/20 प.न. 82/157 मु.न 25 कि.न. 1 ता 4 प्रतयेक में 0.228 है.नहरी, 0.025 है. खाला, कि.न. 5 में 0.190 है. नहरी, 0.025 है. खाला, 0.038है. गे.मु. रास्ता, कि.न. 6 में 0.215 है.नहरी, 0.038 है. गै.मु. रासता, कि.न. 7, 8, 9, 10 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 2.530है. नहरी मय गे.मु. रासता, खाला आराजी का वादी संख्या 1 गगनदीप सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। (ख) चक 27 पी टी पी खाता संख्या 13/20 प.न. 82/157 मु.न. 25 कि.न. 11 ता 14 प्रत्येक में 0.253 है.नहरी, कि.न. 15, 16 प्रत्येक में 0.215 है. नहरी, 0.038 है. गै.मु. रासता, कि.न. 17 ता 20 प्रत्येक में 0. 253 है. नहरी कुल 2.530 है. नहरी मय गै.मु. रासता आराजी का वादी संख्या 2 अर्षदीपसिह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। (ग)प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 22 पी टी पी 'बी' खाता संख्या 24/27 प.न. 92/159 मु.न. 69 कि.न. 12/1 में 0.190 है. नहरी कुल 0.190 है. नहरी आराजी में वादी संख्या 1 व 2 को ब. हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। (घ) चक 22 पी टी पी 'बी' खाता संख्या 25/30 प.न. 92/159 मु.न. 69 कि.न. 1 ता 10, 12/2, 13 ता 16, 20 ता25

Scanned by CamScanner

में 4.542 है. नहरी कुल खाता 4.542 है. नहरी आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2.923 है. आराजी में वादीगण संख्या 1 व 2 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। एव वादीगण के हक हिस्सा की आराजी तक उक्त खातों से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादीगण का खाता अलग कायम किया जाकर वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 3/12/19 को जारी किया गया।

3/12/19

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.01.14 15:39:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: